ऑन लाईन नं.RCMS2018/00139

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 55/2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र गोपालदास धींगडा, निवासी वार्ड नम्बर 12, श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर
   मै0 धींगडा रेस्टोरेण्ट, 14–15, कपडा बाजार, मेन मार्केट,श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(2)/51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 06.08.2018

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.10.2017 को दोपहर बाद 2.30 बजे वास्ते निरीक्षण फर्म **मै0** धींगडा रेस्टोरेण्ट, 14–15, कपडा बाजार, मेन मार्केट,श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर एवं उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां पर अशोक कुमार पुत्र गोपालदास धींगडा, निवासी वार्ड नम्बर 12, श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला। उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां फर्म पर अशोक कुमार पुत्र गोपालदास खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं विक्रेता की हैसियत से मौजूद थे एवं आम जनता को पनीर विक्रय कर रहे थे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ पनीर के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की तो फ्रिज में लगभग 02 किलोग्राम पनीर आम जन के विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें से 1 किलाग्राम पनीर जांच के लिए खरीद की, पनीर की कीमत 260/–रू (अखरे रूपये दौ सौ साठ मात्र) अदा की एवं खरीदी रसीद तैयार की, तथा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

उपस्थित गवाहान श्री राकेश सचदेवा एवं भूपेश के हस्ताक्षर करवाये। फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता श्री अशोक कुमार एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा पनीर को एक साफ सूखी प्लेट में एक रूप करके एवं परिरक्षक की उचित मात्रा मिलाकर बराबर मात्रा में चार प्लास्टिक की बोतलों में भरकर कंसकर ढक्कन बन्द किये एवं गोंद से चिपकाकर लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप के–844 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/2213/एक्ट/2017/2285 दिनांक 25.10.2017017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–844 पनीर **अमानक स्तर** (Substandard Food) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र गोपालदास घींगडा, निवासी वार्ड नम्बर 12, श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर पनीर का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(2)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 16.07.2018 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस पनीर का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (Substandard Food) पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त पनीर में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया पनीर का सैम्पल के–844 जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/ 2213/एक्ट/2017/2285 दिनांक 25.10.2017017 द्वारा (Substandard Food) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा **2(2)/51** के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस पनीर का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (Substandard Food) पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त पनीर में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

इस प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की घारा 49 के प्रकाश में, यह मानते हुए कि अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्त अशोक कुमार पर (Substandard Food) पनीर विक्रय करने पर धारा 51 के तहत शास्त्रि 5000/–रूपये (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त पनीर का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में पनीर के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/8/18

(नख़तदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)